



2026:AHC:163554

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27096 / 2026

भूरा @ भूरा चमन

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आदर्श श्रीवास्तव, रीना पाल

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अधिवक्ता श्री अंकित अग्रवाल ने सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक की ओर से आज दायर पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर ले लिया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आदर्श श्रीवास्तव, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित अग्रवाल और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना।
4. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 241/2026 अंतर्गत धारा 103(1), 238 और 61(2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - कोतवाली देहात, जिला - बुलन्दशहर, अवर न्यायालय में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था, किन्तु विवेचना के दौरान सीसीटीवी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फुटेज के आधार पर उसे अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि फुटेज से पता चलता है कि वह दो अन्य लोगों के साथ मृतक के साथ अलग मोटरसाइकिल पर घूम रहा था और इस साक्ष्य के अतिरिक्त, आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अन्य किसी भी सम्पोषक साक्ष्य के अभाव में, मात्र उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर, प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 14.6.2026 से जेल/कारागार में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और साथ ही सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।

10. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था, किन्तु विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि फुटेज से पता चलता है कि आवेदक अन्य अभियुक्तों के साथ एक अलग मोटरसाइकिल पर मृतक के साथ घूम रहा था और इसके अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

11. इस न्यायालय को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में गुण-दोष है कि किसी भी सम्पोषक साक्ष्य के अभाव में, मात्र उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर, प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।

12. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 14.6.2025 से जेल/कारागार में है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

14. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **भूरा @ भूरा चमन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 5, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।